वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 11.06.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला,आज, दैनिक जागरण आईनेक्स्ट, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश, राष्ट्रीय सहारा,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 11.06.2025

कर्मचारियों को मंडलायुक्त ने किया सम्मानित

वाराणसी। मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने मंगलवार को वीडीए में कार्यरत लेखा अनुभाग के लेखाकार सत्य प्रकाश पांडेय को सम्मानित किया। उन्हें लेखा से संबंधित कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए मंडलायुक्त ने प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया। वहीं, प्राधिकरण के रिकॉर्ड, जनसूचना और आईजीआरएस अनुभाग में कार्यरत लिपिक सुनील कुमार सिन्हा, ओम प्रकाश और राजा कुमार वर्मा को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्राधिकरण सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 11.06.2025

वीडीए ने दो अवैध निर्माण किए सील

वाराणसी। वीडीए की ओर से मंगलवार को दो अवैध निर्माण सील किए गए। वीडीए सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा के अनुसार वार्ड-दशाश्वमेध के मड़ांव भुल्लनपुर में बिरेंद्र त्रिपाठी की ओर से बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 333 वर्ग मीटर में बेसमेंट की ढलाई की जा रही थी। चांदपुरा चौराहे के पवन कन्नौजिया ने बगैर मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण किया जा रहा था। जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति और अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश की अगुवाई में कार्रवाई की गई। ब्यूरो

आज–दि0 11.06.2025

दो भवन का निर्माण कार्य हुआ सील

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर मंगलवार को वार्ड दशाश्वमेध के भुल्लनपुर क्षेत्र में विरेंद्र त्रिपाठी नामक भवन स्वामी बिना मानचित्र पास कराये भवन का निर्माण कर रहा था। इसी प्रकार चांदपुर चौराहे के पास भवन स्वामी पवन कन्नौजिया भी बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भवन का निर्माण कर रहा था मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी सौरब देव प्रजापति एवं अवर अभियंता रविंद्र प्रकाश क्षेत्रीय सुपरवाइजर और निकटम थाने की पुलिस की देखरेख में प्रवर्तन दल ने दोनों भवन को सील कर दिया। सिलिंग काररवाई के बाद जोनल अधिकारी के निर्देश पर अवर अभियंता ने निकटम थाने की अभिरक्षा में दोनों भवन को सौंप दी है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण आईनेक्स्ट–दि0 11.06.2025

पांच के बाद गंजारी स्टेडियम के पास डेवलप होगी टाउनशिप

वाराणसी में अब 6 टाउनशिप

मेडिसिटी, शिवपुर समेत टाउनशिप वाला शहर होगा वाराणसी

varanasi@inext.co.in

VARANASI (10 June): पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी लगातार बुलंदियों को छू रहा है. पांच टाउनशिप के बाद अब छठवां टाउनशिप गंजारी स्टेडियम के पास बनने जा रहा है. इसके लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने हरी झंडी दे दी है. इसके साथ ही सिटी में न सिर्फ बिजनेस बढ़ेगा, बल्कि नए इन्वेस्टर्स भी आएंगे. वीडीए की तरफ से जिले में प्रस्तावित टाउनशिप में राजातालाब के रिंग रोड किनारे ग्रेटर बनारस के रूप में बसाई जानी है. इसके लिए रिंगरोड किनारे एक हजार एकड़ में चारों टाउनशिप का निर्माण का प्रस्ताव बना था. इसी तरह बाबतपुर से हरहुआ और रिंग रोड किनारे ही पांच और इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव बना है. इनमें से वर्ल्ड सिटी एक्सपो, काशी द्वार, वैदिक सिटी, वरुणा विहार फेज एक और दो शामिल है. वर्ल्ड सिटी एक्सपो के लिए आवास विकास परिषद जमीन अधिग्रहीत करने में जुटा है.

भीड़ का दबाव कम होगा

शहर के सुनियोजित विकास और विस्तार के लिए वीडीए टाउनशिप योजना पर काम कर रहा है. इससे दूसरे जिलों या प्रदेश से आने वाले लोगों को शहर के बाहर ही सभी सुविधाएं मिल जाएंगी. शहर से भीड़ भी शिफ्ट होगी. टाउनशिप में रोजगार परक परियोजनाएं भी शामिल की गई हैं.

कम्प्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के लोकार्पण के दौरान मौजूद मंडलायुक्त, डीएम व अन्य अधिकारी.

अब गंजारी में टाउनशिप

वाराणसी विकास प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक में गंजारी स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के समीप अर्बन टाउनशिप परियोजना को मंजूरी दी गई. नवीन रिकॉर्ड रूम, वीडीए सिटीजन एप और कम्प्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, पोर्टल का लोकार्पण किया.

शहर का होगा विकास

टाउनशिप बनने से शहर का काफी तेजी से विकास होगा. रिंग रोड का जाल फैलेगा. इसके साथ ही नए बिजनेस डवलप होंगे. नए बिजनेस मैन के अलावा नए इन्वेस्टर्स यहां आएंगे. टाउनशिप से शहर का काफी तेजी से विकास होता है.

जोन 3 ने पास किए कॉमर्शियल भवनों नक्शे, दो भवन सील

पिछले एक हफ्ते के अंदर वीडीए के जोन 3 में छह से अधिक नक्शों को पास किया गया है. यह सभी नक्शे कॉमर्शियल भवन के है. साथ ही जोन-03 में 02 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्रवाई की गई. बिना नक्शे के ही मकान बनवा रहे थे. जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापती ने बताया कि वार्ड-दशाश्वमेध, मडाव, मुल्लनपुर के अन्तर्गत बिरेन्द्र त्रिपाठी द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 333 वर्ग मीटर में बेसमेंट के ढलाई का अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसे ध्वस्त किया गया. नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत स्थल को सील किया गया. वार्ड-दशाश्वमेध, चांदपुर चौराहा के अन्तर्गत पवन कन्नौजिया द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 562 वर्ग फिट पर अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसे नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत सुसंगत धारा के अन्तर्गत स्थल को सील किया गया. मौके पर एवं अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश तथा पुलिस बल उपस्थित रहे.

एक नजर में टाउनशिप

- टाउनशिप क्षेत्रफल (एकड़ में) धनराशि (करोड़ में)
- हरहुआ चौराहे के पास वर्ल्ड सिटी एक्सपो
- सारनाथ रिंग रोड के पास वैदिक सिटी
- एयरपोर्ट के पास काशी द्वार
- हरहुआ क्रॉसिंग के पास फेज एक
- हरहुआ क्रॉसिंग के पास वरुणा विहार फेज दो

"वाराणसी का काफी तेजी से विकास हो रहा है. टाउनशिप बनने से आसपास के एरिया डेवलप होंगे. नए बिजनेस आएंगे. कनेक्टिंग बढ़ेगी और अन्य शहरों से लोग यहां आएंगे.

पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वीडीए

यह सुविधाएं होंगी

इसमें आवासीय इलाके, कार्यस्थल, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर और मनोरंजन क्षेत्र जैसी सुविधाएं शामिल होंगी. सके साथ ही फ्लैट, अपार्टमेंट, विकसित किए जाएंगी. यहां अस्पताल, क्लीनिक और स्वास्थ्य केंद्र जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी. टाउनशिप में मॉल, सुपरमार्केट, शॉपिंग सेंटर, पार्क, खेल के मैदान, मनोरंजन केंद्र और बैंक, पोस्ट ऑफिस, लाइब्रेरी और धार्मिक स्थल भी बनाए जाएंगे.

दैनिक जागरण—दि0 11.06.2025

वीडीए सचिव ने कर्मियों को किया सम्मानित

कर्मचारी ओमप्रकाश को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते वसचिव डा. वीपी मिश्रा●

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण सचिव डा. वीपी मिश्रा ने कार्यालय में अच्छे कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया। विकास प्राधिकरण के लेखा अनुभाग के लेखाकार सत्यप्रकाश पांडेय, रिकार्ड, जनसूचना एवं आइजीआरएस अनुभाग के लिपिक सुनील कुमार सिन्हा, ओमप्रकाश और राजा कुमार वर्मा को प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया।

राष्ट्रीय सहारा—दि0 11.06.2025

वीडीए ने दो अवैध निर्माण किया सील

वाराणसी। वीडीए की टीम ने मंगलवार को जोन-03 में दो अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया है। वार्डदशाश्वमेध, मडाव, मुल्लनपुर के अन्तर्गत बिरेन्द्र त्रिपाठी द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 333 वर्ग मीटर में बेसमेंट के ढलाई का अवैध निर्माण किया जा रहा था। इसी वार्ड में चांदपुर चौराहा के अन्तर्गत पवन कन्नौजिया द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 562 वर्ग फिट पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। मौके पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापती एवं अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 11.06.2025

वाविप्रा में कार्यरत लेखाकार को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर किया सम्मानित

वाराणसी।वाविप्रा में कार्यरत लेखा अनुभाग के लेखाकार श्री सत्य प्रकाश पाण्डेय को लेखा से संबंधित कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए आयुक्त द्वारा प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।इसी क्रम में प्राधिकरण के रिकार्ड, जनसूचना एवं आई.जी.आर.एस. अनुभाग में कार्यरत लिपिक श्री सुनील कुमार सिन्हा, श्री ओम प्रकाश एवं श्री राजा कुमार वर्मा को तीनों अनुभागों में समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण तथा उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए प्राधिकरण सचिव श्री वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।इस अवसर पर प्राधिकरण द्वारा सभी सम्मानित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई।.

न्यायाधीश–दि0 11.06.2025

जोन-03 में 02 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-03 में 02 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-दशाश्वमेध, मडाव, मुल्लनपुर के अन्तर्गत बिरेन्द्र त्रिपठी द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 333 वर्ग मीटर में बेसमेंट के ढलाई का अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसे आज दिनांक 10/06/2025 को उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत स्थल को सील किया गया।वार्ड-दशाश्वमेध , चांदपुर चौराहा के अन्तर्गत पवन कननैजिया द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 562 वर्ग फिट पर अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसे आज दिनांक 10/06/2025 को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत सुसंगत धारा के अन्तर्गत स्थल को सील किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी सौरव देव प्रजापती एवं अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।